(4)

प्रकरण संख्या–24 / 2017 GCMS ID-2017/00062 तारीख रजु–27.11.2017

न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिहाग, आई.ए.एस.

1. सरकार जरिये तहसीलदार मासलपुर
2. ग्राम पंचायत मासलपुर जरिये सरपंच ग्राम पंचायत मासलपुर – प्रार्थीगण

बनाम

1. भूरा उर्फ भूरसिंह पुत्र गिरधर
2. गजराज पुत्र गिरधर
3. समयसिंह
4. सभी जातियान गुर्जर निवासीयान अनीजरा तहसील मासलपुर जिला करौली

– अप्रार्थीगण

प्रतिप्रेषित अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 26.06.2014 द्वारा जिला कलक्टर करौली

निर्णय

दिनांक 23.06.2021

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम मासलपुर के आराजी खसरा नंबर 717 / 1 रकबा 26 बीघा 04 विस्वा में से 20 बीघा व खसरा नंबर 1414 रकबा 170 बीघा 18 विस्वा में से 15 बीघा कुल किता 02 कुल रकबा 35 बीघा भूमि जिला कलक्टर करौली द्वारा अपने आदेश दिनांक 26.06.2014 के द्वारा ग्राम मासलपुर के आबादी विस्तार हेतु आरक्षित की गई थी। उक्त आदेश के विरुद्ध अप्रार्थीगण द्वारा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर में अपील प्रस्तुत की गई जहां से प्रकरण राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के न्यायालय में अंतरित हुआ। राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा अपने निर्णय दिनांक 28.08.2017 में आलोच्य आदेश दिनांक 26.06.2014 को अपास्त कर प्रकरण को पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया गया था।

उक्त आदेश की पालना में प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के आदेश दिनांक 28.08.2017 के विरुद्ध प्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर में अपील पेश की गई जिनके निर्णय दिनांक 26.09.2018 में राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा का निर्णय दिनांक 28.08.2017 अपास्त किया गया एवं जिला कलक्टर करौली का निर्णय / आदेश दिनांक 26.06.2014 यथावत् रखा गया। राजस्व मण्डल, राजस्थान के निर्णय दिनांक 26.09.2018 के विरुद्ध अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत स्पेशल अपील राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा निर्णय दिनांक 18.04.2019 को खारिज की गई। डी.बी. स्पेशल अपील रिट नं. 1185 / 2019 में पारित निर्णय दिनांक 07. 02.2020 में भी जिला कलक्टर करौली द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.06.2014 को यथावत् रखा गया है।

अतः राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के निर्णय दिनांक 28.08.2017 के अपास्त हो जाने एवं डी.बी. स्पेशल अपील रिट नं. 1185 / 2019 में पारित निर्णय दिनांक 07.02.2020 में भी जिला कलक्टर करौली द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.06.2014 को यथावत् रखे जाने के कारण प्रकरण में सुनवाई किये जाने की आवयकता नहीं रह जाती है। अतः प्रकरण को खारिज किया जाता है एवं जिला कलक्टर करौली के आदेश दिनांक 26.06.2014 को यथावत् रखा जाता है। निर्णय की प्रति प्रार्थीगण को प्रेषित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.06.2021 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सिद्धार्थ सिहाग)
जिला कलक्टर, करौली